

**न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)****पीठासीन अधिकारी- श्री विनोद कुमार (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या <b>248/2018</b> (RCMS 2018/00122)	दायर दिनांक <b>13.12.2018</b>	निर्णय दिनांक <b>19.08.2019</b>
---	----------------------------------	------------------------------------

**अनवान**

1. श्रीमती रेखा पुत्री श्री विमलचंद महात्मा पत्नि श्री प्रवीण जैन जाति जैन आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ हाल जोधपुर
2. श्रीमती रेणु पुत्री श्री विमलचंद महात्मा पत्नि श्री संदीप जैन जाति जैन आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ हाल छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़
3. श्रीमती धनलक्ष्मी पुत्री श्री विमलचंद महात्मा पत्नि श्री दिनेश जैन जाति जैन आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम बीकानेर

**वादीगण****बनाम**

1. श्री विमलचंद आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति महात्मा आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. श्री रत्नेश आत्मज विमलचंद जाति महात्मा आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. श्री रितुराज आत्मज श्री विमलचंद जाति महात्मा आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. श्रीमती दमयंती पुत्री विमलचंद जाति महात्मा पत्नि श्री कौशलकुमार महात्मा आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. श्री सुनील कुमार आत्मज श्री हिम्मतसिंह जाति अलावत आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. श्री दिनेश कुमार आत्मज श्री बापूलाल जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी अश्विनी बाजार उदयपुरा ।
7. तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।
8. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ ।

**प्रतिवादीगण**

उपस्थिति :- अधिवक्ता श्री अमित नाहर  
अधिवक्ता श्री बीएल पोखरना  
पैरोकार सरकार

वादीगण  
प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक  
प्रतिवादी संख्या 7

**--:: वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम, 1955 ::--**

**--:: निर्णय ::--**

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी की पैत्रक कृषि भूमि ग्राम सेंती पटवार सेंती के खाता संख्या 61 खसरा नम्बर 1596 कुल किता 1 कुल रकबा 0.86 हैक्टर स्थित



है। उक्त आराजीया वादी की पैत्रिक कृषि भूमि होकर यह कृषि भूमि कन्हैयालाल की पैत्रिक कृषि भूमि थी। कन्हैयालाल के निधन के उपरांत उनके पुत्र विमलचंद को विरासत से प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 2,3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र एवं वादी प्रतिवादी संख्या 4 पुत्रियाँ हैं। इस प्रकार विवादित आराजीयात में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार वादी का जन्म से हक व हिस्से निहित होकर काबिज चले आ रहे हैं। कन्हैयालाल के निधन से विरासत से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खाता खोला जाकर प्रतिवादी संख्या 1 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 विवादित कृषि भूमि पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपने हक व हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज काशत हुए। प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजीयात को वादी प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 4 की पैत्रिक भूमि होना मानते हुए भूमि का 1/7-1/7 हिस्सा निहित होने का आपसी समझ बंटवारा विलेख निष्पादित किया। वादी का विवादित आराजीयात में 1/7-1/7 हक व हिस्सा निहित होकर वादी अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर वादी को विवादित कृषि भूमि में स्थित अपने हक व हिस्से से महरूम करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्धावस्था होने एवं सोचने समझने की क्षमता क्षीण होने का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से से अधिक एवं वादी के हिस्से में मिलाते हुए वादीगण की सहमति के बिना सम्पूर्ण कृषि भूमि का बिना पारिवारिक जायज जरूरियात के प्रतिवादी संख्या 5, 6 के साथ मिल कर विक्रय विलेख कपटपूर्वक रूप से प्रतिवादी संख्या 5, 6 के पक्ष में दिनांक 11.10.2018 को निष्पादित करा उपपंजीयक कार्यालय चित्तौड़गढ़ में दिनांक 11.10.2018 को पंजीकृत कराया। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में विमलचंद का 1/7 हक व हिस्सा होने से विमलचंद को अपने हक व हिस्से से अधिक कृषि भूमि पैत्रिक कृषि भूमि को किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने प्रतिवादी संख्या 5, 6 से मिल कर प्रतिवादी संख्या 1 के सोचने समझने की क्षमता के क्षीण होने का फायदा उठा कर प्रतिवादी संख्या 1 से मिल कर बिना किसी पारिवारिक जायज जरूरियात के वादी को उसके हक व हिस्से से वंचित करने की नियत से विधि विपरित रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के हक एवं हिस्से से अधिक कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 को लाभ पहुँचाने की नियत से विक्रय विलेख दिनांक



11.10.2018 के माध्यम से विक्रय करा दी। विक्रय विलेख दिनांक 11.10.2018 वादी के निहित वादपत्र अनुसार हक व हिस्से के मुकाबले प्रथमतः शून्य है। प्रतिवादी संख्या 5, 6 को वादी के मुकाबले उक्त कृषि भूमि में कोई हक स्वत्व अधिकार अर्जित नहीं होते हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 का विवादित आराजीयात में 1/7-1/7 हक एवं हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 5, 6 के पक्ष में अपने हक व हिस्से से अधिक कृषि भूमि का विक्रय करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वादी ने विक्रय विलेख में किसी प्रकार की कोई सहमति एवं स्वीकृति नहीं दी। प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने विक्रय विलेख से विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवाना कर आबादी में परिवर्तित कर विक्रय अंतरण चाह रहे हैं। विवादित आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5, 6 के पक्ष में किया गया विक्रय विलेख दिनांक 11.10.2018 प्रथमतः शून्य है। अतः वादी वाद-पत्र की चरण संख्या 1 वर्णित कृषि भूमि में अपना हक एवं हिस्से के अनुसार खातेदारी की घोषणा कराने की अधिकारी है। वादी को विवादित आराजीया प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय करने की जानकारी दिनांक 27.10.2018 को हुई जब प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने वादी को धमकी दी की तुम्हारा इस कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं है जमीन सीमा एवं कब्जे को लेकर लड़ाई झगडा करना प्रारंभ कर दिया अतः वादी को विवादित कृषि भूमि में निहित अपने 1/7-1/7 हक एवं हिस्से की घोषणा कराने का अधिकारी है। अतः यह घोषणा का वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 5, 6 विक्रय विलेख की आड में अपने नाम पर सम्पूर्ण कृषि भूमि का खाता अपने नाम खुलवा कर विवादित कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित कर रहन बक्षीस अन्य तरीके से अंतरित करने को उतारू है। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 5, 6 ने नगर विकास प्रान्यास चित्तौड़गढ़ आवेदन भी प्रस्तुत किया है, अगर प्रतिवादी संख्या 5, 6 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 से मिल कर अपने कृत्य में सफल हो गए तो कब्जे एवं स्वामित्व को लेकर विवाद बढेगा। जिससे वादी को अकथनीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। अतः वादी प्रतिवादी संख्या 5, 6 को वादी के हक व हिस्से की भूमि को किसी प्रकार से अंतरित नहीं करने अपने नाम नामान्तरकरण नहीं कराने भूमि की किस्म परिवर्तन नहीं करने एवं दखल नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या



2, 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिल कर छल कपटपूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 के हक व हिस्से अधिक प्रतिवादी संख्या 5, 6 के नाम पर सम्पूर्ण कृषि भूमि का विक्रय विलेख दिनांक 11.10.2018 को करवा कर अपने नाम नामान्तरकरण करवा लिया प्रतिवादी ने वादी के कब्जे में दखल कर भूमि विक्रय करने की धमकी दिनांक 27.10.2018 को दी अतः वाद कारण वादी को जानकारी की दिनांक 27.10.2018 से पैदा हुआ एवं हो रहा है। प्रतिवादी ने दिनांक 27.10.2018 को वादी के हक व हिस्से दखल करने कोशिश की जिस पर वादी ने जमाबंदी की नकल प्राप्त किया जिससे वादी को पूरा खाता प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर होने की जानकारी हुई अतः वादी को जानकारी की दिनांक 27.10.2018 से वाद पत्र अंदर अवधिक प्रस्तुत है। अतः वादीगण की प्रार्थना पत्र है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र अनुसार विवादित पैत्रिक कृषि भूमि में वादी को 1/7-1/7 हक व हिस्से की खातेदारी घोषणा की आज्ञापति प्रदान की जावें। तथा रेवेन्यू रेकार्ड में वादी प्रतिवादी के पृथक-पृथक हक एवं हिस्से के अनुसार खातेदारी में अंन की आज्ञापति प्रदान फरमाई जावें। वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रदान की जावें कि प्रतिवादी वादी के निहित हक व हिस्से में दखलन्दाजी दस्तान्दाजी नहीं करे तथा कृषि भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बह बक्षीस अंतरण नहीं करे एवं करावें। तथा कृषि भूमि का अन्य कृषि प्रयोजनार्थ न तो स्वयं करे एवं न किसी अन्य से करावें।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। इस पर दिनांक 14.01.2019 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 की और से उनके अधिवक्ता बीएल पोखरना ने अधिकार पत्र पेश किया एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी का प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है, जिसकी नकल वकील वादीगण को दिलवाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.02.2019 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वकील वादीगण को दिलवाई गई। अपने जवाब दावा में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में आबादी नगर विकास प्रान्यास चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज है जिसकी सही प्रतिलिपि संलग्न आवेदन है और चूंकि यह भूमि आबादी नगर विकास प्रन्यास दर्ज रिकार्ड होने से इस



किस्म आबादी भूमि के संबंध में वाद माननीय न्यायालय आप के समायत योग्य न होकर दीवानी न्यायालय के समायत योग्य होने से इसी बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आबादी भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर मात्र सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। वादग्रस्त आराजीयात खातेदार विमलचंद पिता कन्हैयालाल के अकेले के नाम पर खातेदारी व कब्जे में अंकित थी एवं बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2018 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5, 6 के नाम पर नामान्तरित हो खाते में अंकित हो गयी और तदनन्तर उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास को समर्पित की जा चुकी थी और भूमि की किस्म आबादी हो गई और नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ के नाम हो गई और चूंकि विमलचंद प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण और प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 4 के परिवार का कर्ता परिवार होने के कारण रूपयों की वैद्य आवश्यकता विक्रय पत्र में अंकित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 5, 6 को भूमि का विक्रय कर्ता परिवार के नाते किया ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 व अपनी पत्नि की सहमति से वाद पेश करने से पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचकर कब्जा खरीददारान प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में हुए वादग्रस्त आराजी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त कराये बगैर क्योंकि वादीगण के लिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अमान्य करणीय होने के कारण दीवानी न्यायालय से अमान्य करार दिये बगैर जो वाद न्यायालय आप में पेश किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि यह वाद दीवानी न्यायालय के ही श्रवणाधिका व क्षेत्राधिकार मात्र का है। वाद में वर्णित तथ्य वास्तविकता के विपरित होने से स्वीकार है। विवादित आराजीयात वादीगण के खातेदारी व कब्जे की नहीं है और न ही वादीगण के जन्म से ही हक व हिस्से की होकर वादीगण का कब्जा ही है। वादीगण ने वादपत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि कन्हैयालाल जी का निधन कब हुआ। विवादित आराजीयात का एक मात्र खातेदार एवं काबिज विमलचंद होकर राजस्व रिकार्ड में अंकित था और विमलचंद कर्ता परिवार होने के कारण एवं रूपयों की जायज जरूरीयात का तथ्य विक्रय पत्र में अंकित करते



हुए विमलचंद ने अपने एक मात्र खातेदारी में दर्ज रिकार्ड भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को वाद पेश करने से पूर्व विक्रय कर कब्जे में दे दी जिस भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ को धारा 90(ए) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम समर्पित कर दी और नगर विकास प्रन्यास के कब्जे में आबादी अंकित हो गई। इस तथ्य से स्पष्ट है कि वादीगण का विवादित आराजीयात पर किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं था और न ही उनका कोई खातेदारी अधिकार ही राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अंकित था। इस प्रकार वाद पत्र की चरण संख्या 2 वास्तविकता के विपरित होने से अस्वीकार है। कर्ता परिवार विमलचंद ने जिन दो विक्रय पत्रों के माध्यम से विवादित आराजीयात प्रतिवादी 5 व 6 को दिनांक 11.10.2018 को विक्रय कर कब्जे में दी उसका पूर्ण विक्रय मूल्य 2, 3, 4 की भी सहमति विक्रय पत्र पर अंकित कराई गई और वादीगण ने भी मौखिक रूप से विक्रय की स्वीकृति दी थी किन्तु बाद में वादीगण के मन में लालच आ जाने से गलत वाद पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया है व असद्भावना पूर्ण होकर खारीज किये जाने योग्य है। विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने पूर्ण प्रतिफल विक्रय मूल्य अदा कर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया, अतः सद्भावी क्रेता है उनके विरुद्ध प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है। भूमि का विक्रय कर्ता परिवार विमलचंद ने परिवार की जायज जरूरीयात के लिए किया जिसमें सभी परिवार के सदस्यों की सहमति रही व वादीगण की भी सहमति थी। इसी कारण विमलचंद ने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 से जो प्रतिफल प्राप्त किया उसकी 5-5 लाख रुपये की तीन फिक्स डिपोजिट बैंक में कराई जिसमें वादी संख्या 1, 2, 3 को अलग-अलग नोमिनी बनाया गया जो वादीगण की सहमति से हुआ इस कारण वादीगण ने जो वाद पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। तीनों फिक्स डिपोजिट में वादीगण को अलग-अलग नोमिनी बनाया उसकी प्रतियां संलग्न प्रतिवाद है। इस प्रकाश में भी वादीगण का वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण ने सही व वास्तविक तथ्यों का छिपाते हुए न्यायालय आप से एक तरफा गलत स्थगन आदेश दिनांक 17.12.2018 प्राप्त किया है वह भी निरस्त किये जाने योग्य है वादीगण स्वच्छ हाथों से अनुतोष प्राप्त करने हेतु न्यायालय में नहीं आये है। वादीगण का मौके पर कब्जा होने का



तथ्य गलत है मौके पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का है इस कारण कब्जे के अभाव में वादीगण किसी प्रकार की निषेधाज्ञा न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है और वादपत्र खारीज किये जाने योग्य है। वादीगण का 1/7-1/7 हिस्से का कोई बंटवाडा विलेख होने का तथ्य न केवल गलत है वरन ऐसा कोई बंटवाडा विधि विरुद्ध होकर गलत है न तो वादीगण का 1/7 हक हिस्सा है और न ही इस हक हिस्सा अनुसार वादीगण काबिज होकर काशत ही करते चले आ रहे है वादीगण का कब्जा काशत होने का तथ्य इस कारण भी गलत है क्योंकि वर्तमान राजस्व रिकार्ड भूमि नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ बतौर खातेदार अंकित है वादीगण ने कन्हैयालाल का निधन कब हुआ इस तथ्य को भी प्रकट नहीं किया है। वादीगण का कोई जन्म से अधिकार विवादित भूमि में नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर वादीगण के किसी हक हिस्से से महरूम करने की नियत से प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्धावस्था होने एवं सोचने समझने की क्षमता क्षीण होने का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की बिना सहमति से परिवार की जायज जरुरीयात के बिना विक्रय विलेख कपट पूर्वक दिनांक 11.10.2018 को निष्पादित कराव पंजीयन कराने का तथ्य गलत है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कर्ता परिवार के नाते सभी परिवारजन की लिखित व मौखिक सहमति से परिवारिक जायज जरुरीयात रूप्यों की पूर्ति के लिए भूमि का विक्रय पूर्ण सोच समझकर पूर्ण विक्रय मूल्य प्रतिफल स्वरूप प्रतिवादी संख्या 5 व 6 से प्राप्त कर वादीगण की मौखिक सहमति लेने के कम में तीन एफडी 5-5-5 लाख रुपये की करवा उनमें वादीगण को अलग-अलग नोमिनी नियुक्त कर वादीगण की सहमति से किया बाद में वादीगण के मन में लालच आ जाने से गलत वाद पत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया वह निरस्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में निष्पादित व पंजीकृत विक्रय पत्र शून्य होने का तथ्य गलत है। वादीगण के लिए अधिक से अधिक विक्रय पत्र शून्यकरणीय है जिसे सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त कराया जा सकता है ऐसा न कर जो वादपत्र न्यायालय आप में प्रस्तुत किया है वह खारीज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीकृत होने के पश्चात विधि अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का संपूर्ण विक्रित भूमि पर कब्जा व अधिकार हो जाने के कारण उनके नाम पर भूमि का नामान्तरकरण



बतौर खातेदार हुआ और प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने बतौर वैधानिक खातेदार के नाते उक्त भूमि का रूपान्तरण चाहने हेतु प्रार्थना पत्र नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत कर भूमि को नगर विकास प्रन्यास के पक्ष में समर्पित किया और वह समर्पण स्वीकार हो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में भूमि आबादी अंकित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वादीगण को कोई क्षति होने का प्रश्न ही नहीं है। किस्म परिवर्तन आबादी हो चुका है और यह किस्म परिवर्तन आबादी राजस्व रिकार्ड में अंकित भी हो चुका है ऐसी स्थिति में वादीगण का वादपत्र सारहीन होकर निरस्त किये जाने योग्य है वादीगण किसी भी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है और न ही घोषणात्मक डिक्री ही प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर छल कपट पूर्वक प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से से अधिक प्रतिवादी संख्या 5 व 6 संपूर्ण विक्रय पत्र भूमि का कराया हो यह तथ्य असत्य है। प्रतिवादी संख्या 1 ने पूर्ण रूप से सही सोच विचार कर पूर्ण स्वस्थ हालत में पूर्ण स्वस्थ हालत में पूर्ण अधिकार से खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम अंकित होने व कर्ता परिवार होने से पूर्ण विक्रय मूल्य प्रतिवादी संख्या 5 व 6 से प्राप्त कर विधि अनुसार विक्रय पत्र निष्पादित व पंजीयन करा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम पर कराया और तदनन्तर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने भूमि अपने कब्जे में नगर विकास प्रन्यास को समर्पण की गई और नगर विकास प्रन्यास ने इस समर्पण को स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड में भूमि की किस्म आबादी दर्ज हो भूमि आबादी में दर्ज हुई इस कारण वादीगण का कब्जा है ही नहीं तो कब्जे में दखलन्दाजी करने की धमकी देने व दिनांक 27.10.2018 को वाद कारण पैदा होने का तथ्य बनावटी होकर गलत हैं इस कारण वादीगण का वाद पत्र निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 व 6 की और से प्रस्तुत प्रतिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वादपत्र सव्यय निरस्त फरमाया जाए।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश किये जाने से पूर्व प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का पेश किया जो कि रिकार्ड पर है। अपने प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में आबादी नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज है। जिसकी सही प्रतिलिपि संलग्न आवेदन है और चूंकि



यह भूमि आबादी नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ दर्ज रिकार्ड होने से इस किस्म आबादी भूमि के संबंध में वाद न्यायालय आप के समायत योग्य न होकर दीवानी न्यायालय के समायत योग्य होने से इसी बिन्दु पर निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आबादी भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर मात्र सिविल न्यायालय को है ऐसी स्थिति में वाद अंतर्गत आदेश 07 नियम 1 जा0दी0 निरस्त किये जाने योग्य है। वाद में वर्णित तथ्यानुसार वादग्रस्त भूमि खातेदार विमलचंद पिता कन्हैयालाल महात्मा के अकेले के नाम पर खातेदारी व कब्जे में अंकित थी एवं बाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2018 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम पर नामान्तरित हो खाते में अंकित हो गई और तदनन्तर उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ को धारा 90 (ए) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत समर्पित की जा चुकी थी और भूमि की किस्म आबादी हो गई और नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ के नाम हो गई और चूंकि विमलचंद प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, ,3 व 4 के परिवार का कर्ता परिवार होने के कारण रूपयों की वैद्य आवश्यकता विक्रय पत्र में अंकित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को भूमि का विक्रय कर्ता परिवार के नाते किया ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 व अपनी पत्नि की सहमति से वाद पेश करने से पूर्व रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचकर कब्जा खरीददारान प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को दे दिया गया ऐसी स्थिति में वादीगण के लिए प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में हुए वादग्रस्त आराजी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त कराये बगैर क्योंकि वादीगण के लिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अमान्य करणीय(वोईडेबल) होने के कारण दीवानी न्यायालय से अमान्य(वोईड) करार दिये बगैर जो वाद न्यायालय आप में पेश किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि यह वाद दीवानी न्यायालय के ही श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मात्र का है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के अंतर्गत निरस्त फरमाया जाए।



पत्रावली में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी का रिकार्ड पर होने से सर्वप्रथम इस प्रार्थना पत्र को निर्णित किये जाने के आज्ञापक प्रावधान विधि अनुसार है ऐसी स्थिति में पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही को रिजर्व की जाकर सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 में कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की नकल अधिवक्ता वादी को दिनांक 14.01.2019 को दिलवाई गई। दिनांक 08.08.2019 को अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस पर चिंतन, मनन किया गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (वादपत्र के प्रतिवादी) ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र में कोई फ़ोड व मिसरिप्रेजेंटेशन व बोगस ट्रांजेक्शन नहीं होकर उक्त भूमि बाजार भाव से विक्रित की गई है। वादग्रस्त आरजीया में वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं होने से यह किसी भी प्रकार से हक अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी कराने के अधिकारी नहीं हैं उक्त विक्रय पत्र बाबत् वादीगण की सहमति एवं पूर्ण जानकारी में किया गया है इसलिये वादीगण उक्त विक्रय पत्र से पूरी तरह से पाबंद है। प्रस्तुत वाद में विक्रय पत्र को अवैध घोषित करने एवं फिर खातेदारी की घोषणा करने की दाद चाही गई है जो कि बिना विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से अमान्य करार दिये बगैर किया जाना संभव नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया गया विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2018 कर्ता परिवार होने से नाते से किया एवं विक्रय पत्र में रूपयों की वैद्य आवश्यक अंकित करते हुए प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को भूमि का विक्रय कर्ता परिवार के नाते किया ऐसी स्थिति में वादीगण के लिये जो विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष किया रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम दीवानी न्यायालय से निरस्त कराये बगैर क्योंकि वादीगण के लिए उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र अमान्य करणीय(वोईडेबल) होने के कारण दीवानी न्यायालय द्वारा अमान्य(वोईड) करार दिये बगैर



वादीगण के पक्ष में खातेदारी घोषणा नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में आबादी नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज है, चूंकि यह भूमि आबादी नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ दर्ज रिकार्ड होने से इस किस्म आबादी भूमि के संबंध में वाद न्यायालय आप के समायत योग्य नहीं होकर दीवानी न्यायालय के समायत योग्य होने से इसी बिन्दु पर वादीगण का वाद निरस्त फरमाया जावे। अपनी बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी (प्रतिवादीगण) ने विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2018 को निष्पादित बिल एवज 2625000/- रूपया के दोनो विक्रय पत्रों का अवलोकन कराया। जिससे प्रतिवादी संख्या 5 व 6 राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज होकर काबिज हुए। वादीगण ने उक्त अंतरण को बोगस अंतरण बताते हुए शून्य व अवैध करार देते हुए अप्रभावशाली घोषित कराने हेतु निवेदन किया गया है। वादीगण ने वादग्रस्त आराजीयात को पैतृक एवं पुश्तेनी बताते हुए उक्त विक्रय पत्र को अवैध अनुचित व अप्रभावशील घोषित कराने की दाद चाही है। उक्त विक्रय पत्र अमान्य(वोईड) न होकर अमान्य करणीय (वोईडेबल) है और अमान्य करणीय विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय आप को न होकर दीवानी न्यायालय को है जिससे क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रस्तुत वाद की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है। अपने तर्क की पुष्टि में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने आरआरडी 1988 पेज 610 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन कराया। उक्त न्यायिक दृष्टांत जिसमें राजस्व न्यायालय जब तक राहत नहीं दे सकता है तब तक ऐसे विक्रय पत्र जो प्रारम्भ से ही शून्य न होकर अमान्य करणीय(वोईडेबल) हो तो ऐसे वादों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को माना अतः आदेश 07 नियम 10 जा0दी0 के तहत दावे को अदालत मजाज में पेश करने के लिये वापस लौटाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार के न्यायिक दृष्टांत आरआरडी पेज संख्या 750 में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र को उचित माना। इसके अलावा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने हिन्दु विधि के अंदर पिता के क्या अधिकार होते हैं के बाबत् आनन्द नारायण मुल्ला की पुस्तक के पेज संख्या 273 के आर्टिकल 242(4) की तरफ हवाला दिया जिसमें



पिता की एक संयुक्त परिवार के कर्ता की विशेष स्थिति का उल्लेख करते हुए उसके द्वारा बिना विधिक आवश्यकता के उसके द्वारा किये गये अंतरण को अमान्य(वोर्ड) न बताकर अमान्य करणीय(वोर्डेबल) बताया। इस प्रकार प्रस्तुत अंतरण वोर्ड न होकर अमान्य करणीय(वोर्डेबल) होने से इस न्यायालय का वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना बताया है। इसी प्रकार आर्टिकल 256 में एक हिन्दु पिता को संपत्ति के अंतरण में विशेष अधिकार बताये जो अन्य सहभागी को नहीं होते है। आर्टिकल 256(2) में एक पिता अपनी पैतृक संपत्ति जिसमें उसके पौत्रों, प्रपौत्रों का भी अधिकार होता है को भी विक्रय कर सकता है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता का नाम दर्ज रिकार्ड होने से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता ने जो अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को विक्रय किया है वह अमान्य करणीय(वोर्डेबल) अंतरण है न कि प्रारम्भ से ही शून्य। उसके बाद प्रतिवादी संख्या 5 व 6 ने भूमि की किस्म परिवर्तन करा आबादी दर्ज कराई जिससे वर्तमान में रिकार्ड नगर विकास प्रन्यास चित्तौड़गढ़ के नाम पर दर्ज अभिलिखित है। ऐसी स्थिति में जब तक वादीगण उक्त विक्रय पत्रों का सक्षम दीवानी न्यायालय से अवैध घोषित नहीं कराते तक तक राजस्व न्यायालय इन्हे घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं कर सकता। अतः प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जावे। इसके खण्डन में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण(वादीगण) ने अपनी बहस में बताया की वादीगण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम से शासित होकर जन्म से ही उनका पैतृक सम्पत्ति में हक हिस्सा बनता है जिसे बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के प्रतिवादी संख्या 1 विक्रय नहीं कर सकते है। विवादित आराजीयात पैतृक के साथ ही अविभाज्य होने से वादीगण की सहमति के बिना विक्रय करने का अधिकार प्रतिवादी संख्या 2 को नहीं रहता है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 11.10.2018 व उसके बाद का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम का लिसपेन्डेन्सी सिद्धान्त लागु होने से जो निर्णय प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विरुद्ध होगा वही प्रतिवादी संख्या 8 पर भी लागु होगा। प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने जो बिन्दु उठाये है वह सारे बिन्दु जवाबदावे के है जो कि वाद विचारण में ही तय किये जा सकते है। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी (वादीगण) ने अपने तर्क की पुष्टि में न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2010(1) पेज संख्या 273 का अवलोकन



कराया जिसमें आदेश 07 नियम 11 वाद पत्र के खारीज करने से संबंधित है जिसमें प्रार्थी ने वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण खारीज करने हेतु आवेदन पेश किया उसे निचली अदालत ने खारीज किया। निगरानी प्रस्तुत होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन पिता के जीवनकाल में कृषि भूमि पर पैतृक संपत्ति में पुत्र को अधिकार होता है वाद विधि द्वारा बाधित नहीं होना प्रतिपादित किया। इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2003 (1) पेज 513 की माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर का है जिसमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार बाबत तनकी बनी जिसमें विक्रय पत्र के निरस्तीकरण की आवश्यकता नहीं बताते हुए राजस्व न्यायालय द्वारा राहत देने को उचित बताया। इसी प्रकार आरआरटी 2003(1) पेज 633 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा आदेश 07 नियम 11 के अंतर्गत वाद खारीज करने हेतु आवेदन खारीज किया प्रतिवादी सारी आपत्तियां जवाब दावों में उठा सकता है उसके बाद विधिक तनकी पर निर्णय किया जा सकता है। इस प्रकार वाद के प्रारंभिक स्तर पर वाद के खारीज किये जाने को न्यायोचित नहीं माना। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) ने उक्त न्यायिक विनिश्चय का खण्डन करते हुए व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 का हवाला देते हुए वाद किसी स्टेज पर खारीज किया जा सकता है के बारे में जा0दी0 में स्पष्ट है कि वाद दावे के किसी भी स्टेज पर खारीज किया जा सकता है तथा एआईआर 2002 कलकत्ता 247 (253) डबल बेंच द्वारा यह प्रतिपादित किया कि चाहे जवाबदावा प्रस्तुत हुआ हो अथवा नहीं या तनकी बनी अथवा नहीं दावा किसी भी स्टेज पर आदेश 07 नियम 11 के तहत खारीज किया जा सकता है। इसमें मात्र न्यायालय को यह ध्यान रखना है कि वाद विधि द्वारा वर्जित है अथवा वादी को वाद कारण प्राप्त नहीं है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) का यह भी कथन है कि प्रतिवादी को आदेश 07 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नहीं है। स्वप्रेरणा से न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार नहीं होता वहां प्रस्तुत वाद को खारीज कर सकते हैं। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने स्वयं वादीगण द्वारा जो दाद चाही गई है उसमें प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को अवैध अनुचित व प्रभावशील घोषित कराने की दाद मानते हुए वादीगण को खातेदारी व स्थाई



निषेधाज्ञा की दाद चाही है। ऐसी स्थिति में जब तक सक्षम सिविल न्यायालय से वादीगण विक्रय पत्र को अवैध घोषित नहीं कराते उन्हें दाद हासिल नहीं हो सकती ।

हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पर चिंतन मनन करने पर हिन्दु विधि के आर्टिकल 242 (4) आर्टिकल 256 एवं धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन करने पर यह पाया कि हिन्दु विधि के अनुसार पिता द्वारा संयुक्त परिवार के कर्ता की हैसियत से विधिक आवश्यकता के किये गये अंतरण को वोर्ड न होकर अमान्य करणीय (वोर्डेबल) माना है तथा वोर्डेबल अंतरणों का निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय का ही अनन्य अधिकार क्षेत्र है, साथ ही विवादित आराजीयात किस्म आबादी दर्ज अभिलिखित है जिसके संबंध में सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है तथा आदेश 07 नियम 11 में किसी भी स्टेज पर सुनवाई की अधिकारिता न होने पर दावे को खारीज किया जा सकना पाया है। इस वादपत्र की सुनवाई का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है एवं **Bard by Law** है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 दिनांक 14.01.2019 को स्वीकार किया जाता है। जिसके फलस्वरूप यह वादपत्र इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होना पाया जाता है, जिससे यह वादीगण का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावें।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.08.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।



(विनोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी)  
चित्तौड़गढ़

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

### अनवान

1. श्रीमती रेखा पुत्री श्री विमलचंद महात्मा पत्नि श्री प्रवीण जैन जाति जैन आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ हाल जोधपुर
2. श्रीमती रेणु पुत्री श्री विमलचंद महात्मा पत्नि श्री संदीप जैन जाति जैन आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ हाल छेटीसादडी जिला प्रतापगढ़
3. श्रीमती धनलक्ष्मी पुत्री श्री विमलचंद महात्मा पत्नि श्री दिनेश जैन जाति जैन आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ हाल मुकाम बीकानेर

### वादीगण

### बनाम

1. श्री विमलचंद आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति महात्मा आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
2. श्री रत्नेश आत्मज विमलचंद जाति महात्मा आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. श्री रितुराज आत्मज श्री विमलचंद जाति महात्मा आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
4. श्रीमती दमयंती पुत्री विमलचंद जाति महात्मा पत्नि श्री कौशलकुमार महात्मा आयु वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
5. श्री सुनील कुमार आत्मज श्री हिम्मतसिंह जाति अलावत आयु वयस्क निवासी सेंती तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ ।
6. श्री दिनेश कुमार आत्मज श्री बापूलाल जाति कोठारी आयु वयस्क निवासी अश्विनी बाजार उदयपुरा ।
7. तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।
8. नगर विकास न्यास जरिये सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ ।

### प्रतिवादीगण

--:: वादपत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188

राज0काश्त0अधिनियम, 1955 :-

प्रकरण संख्या :- 248/2018

(RCMS 2018/00122)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलात कतई रुबरु बहाजिरी श्री अमित नाहर अधिवक्ता वादी श्री बीएल पोखरना अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजतिब मुदालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नामंजूर किया जाता है। वादीगण सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 19.08.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)  
सहायक कलेक्टर,  
(उपखण्ड अधिकारी)  
चित्तौड़गढ़

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयत	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबतईजराय हुक्मनामा			बाबतईजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

